

महिला आरक्षण विधेयक पराजित हुआ लोकसभा में, पर भाजपा जीती!

एनडीए को कुल 298 वोट मिले, आरक्षण विधेयक के पक्ष में, इंडिया अलायंस (कांग्रेस व विपक्ष) को 230 वोट, जबकि संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए दो तिहाई मत, यानि 364 वोट चाहिए थे

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। मोदी-शाह सरकार के लिए यह ऐतिहासिक पराजय जैसा है कि संविधान संशोधन महिला आरक्षण बिल गिर गया, क्योंकि सरकार तीन संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटा पाने में असफल रही।

एक दिन की भारी हलचल और शोर के बाद पहले वोटिंग राउंड का अंतिम परिणाम इस प्रकार रहा- एनडीए के पक्ष में 298, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि दो तिहाई बहुमत के हिसाब से सरकार को 489 सदस्यों को सदन में 360 मतों की जरूरत थी।

- इस नतीजे को भाजपा की "जीत" इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि अब भाजपा को देश भर में दिवंगत पीटने के लिए मुद्दा मिल गया कि भाजपा तो महिलाओं को संसद में, विधानसभाओं में, एक तिहाई आरक्षण देने को तत्पर थी, पर, विपक्ष ने इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया।
- भाजपा को उसके प्रयास के लिए स्वाभाविक ही है, देश भर में महिलाएं सराह रही हैं। जिसका लाभ भाजपा को चुनाव में, विशेषकर प.बंगाल के चुनाव में मिलेगा और यह शायद ममता बनर्जी को बंगाल में हराने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

चूंकि अन्य दो बिल भी इसी से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें भी असफल माना गया और सरकार ने उनके लिए मतदान कराने का प्रयास नहीं किया। अमित शाह का भाषण इस बिन्दु पर केन्द्रित था कि कैसे महिला आरक्षण बिल विपक्ष द्वारा नाकाम किया गया और

देश की महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएंगी। असलियत यह है कि महिला बिल को परिसीमन से जोड़ने के कारण विपक्ष ने फैसला किया कि वे देश को उत्तर और दक्षिण में विभाजित नहीं होने देंगे। विपक्ष ने पूरे दिन सरकार से कहा

कि परिसीमन बिल को हटाएँ, महिला आरक्षण बिल को अपने आप खड़ा होने दें, और वे इसे पास करेंगे, ताकि तुरंत लागू किया जा सके। विपक्ष ने कहा कि जनगणना के बिना परिसीमन स्वीकार्य नहीं है, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘चाणक्य होते तो, आपकी राजनैतिक चतुराई से चकित रह जाते’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। गृह मंत्री अमित शाह उस समय अन्य भाजपा नेताओं के साथ मुस्कराते दिखाई दिए, जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उन पर हँसी-मजाक के अंदाज़ में एक परोक्ष तारीफ की।

प्रियंका गांधी ने तीन बिलों में संशोधन और महिला आरक्षण विधेयक तथा परिसीमन आयोग के गठन पर बहस में हिस्सा लेते हुए अमित शाह की ओर इशारा करते हुए कहा, "वे हँस रहे हैं।"

प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक की समयावधि और ढाँचे के

- प्रियंका गांधी ने अमित शाह की राजनैतिक चतुराई पर व्यंग्यात्मक अंदाज़ में टिप्पणी की और कहा, सारी तैयारी कर रखी है, इसीलिए वे हँस रहे हैं।

राजनीतिक इरादों पर सवाल उठाते हुए, मजाक में कहा, "गृह मंत्री जी हँस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य अगर होते, तो वो भी चकित रह जाते आपकी राजनैतिक चतुराई पर।" कांग्रेस नेता ने कहा, "उन्होंने (शाह) पूरी योजना बनाई और अब हँस रहे हैं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान ने अचानक "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़" को जहाजों के आवागमन के लिए खोलने की घोषणा की

इससे अमेरिका की स्थिति अटपटी, खिसयानी बिल्ली जो खंबा नोचे, जैसी हुई

- ट्रंप ने अपना महत्व जताते हुए, अपना ब्लॉकडै अफी कुछ समय और जारी रखने का ऐलान किया।
- ट्रंप को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनके वहाँ खाड़ी युद्ध में मौजूद होते हुए, ईरान ने एक तरफा घोषणा करने की पहल, अमेरिका के हाथ से खींच ली।
- यूरोपीय देश, फ्रांस के तत्वाधान में पेरिस में मिले और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोलने की प्रक्रिया पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं।
- अपना ब्लॉकडै कुछ और समय तक जारी रखकर, अमेरिका, चीन से छेड़-छाड़ करता नजर आ रहा है। क्योंकि, चीन की "ऑयल" की जरूरत, मुख्य रूप से ईरान के ऑयल से पूरी होती है और अगर इस सप्लाई में अमेरिका का ब्लॉकडै बाधा उत्पन्न करता है, तो स्थिति विकट बन सकती है।
- इसलिए संभावना यह बन रही है कि ईरान-अमेरिका शांति वार्ता शीघ्र ही प्रारंभ होगी।

लेकिन स्पष्ट रूप से ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध में शांति की पहल अपने हाथ में ले ली है, और अमेरिका को पीछे छोड़कर एकतरफा घोषणा की है कि होर्मुज़ स्ट्रेट अब "सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला है।" ईरानी कदम से महत्वपूर्ण जल मार्ग खोलने की खबर सुनते ही तेल की कीमतों में अचानक गिरावट आई। दुनिया भर के देश समुद्री क्षेत्र के व्यापार से जुड़े पक्ष ईरान की एकतरफा और अचानक घोषणा से चौंक गए हैं।

लेकिन स्पष्ट रूप से ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध में शांति की पहल अपने हाथ में ले ली है, और अमेरिका को पीछे छोड़कर एकतरफा घोषणा की है कि होर्मुज़ स्ट्रेट अब "सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला है।" ईरानी कदम से महत्वपूर्ण जल मार्ग खोलने की खबर सुनते ही तेल की कीमतों में अचानक गिरावट आई। दुनिया भर के देश समुद्री क्षेत्र के व्यापार से जुड़े पक्ष ईरान की एकतरफा और अचानक घोषणा से चौंक गए हैं।

लेकिन स्पष्ट रूप से ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध में शांति की पहल अपने हाथ में ले ली है, और अमेरिका को पीछे छोड़कर एकतरफा घोषणा की है कि होर्मुज़ स्ट्रेट अब "सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह खुला है।" ईरानी कदम से महत्वपूर्ण जल मार्ग खोलने की खबर सुनते ही तेल की कीमतों में अचानक गिरावट आई। दुनिया भर के देश समुद्री क्षेत्र के व्यापार से जुड़े पक्ष ईरान की एकतरफा और अचानक घोषणा से चौंक गए हैं।

रूस से तेल खरीदने का तरीका बदलेगा भारत

भारतीय कंपनियों सीधे रूस से तेल खरीदने की बजाय मध्यस्थों से तेल खरीदने के विकल्प पर विचार कर रही हैं

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। अब, जब अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल के आयात पर अपनी अल्पकालिक छूट को समाप्त कर दिया है, तो क्या भारत अमेरिकी संबंधों को नुकसान पहुँचाए बिना रूसी तेल का आयात जारी रख सकता है? भारत ने अपने कच्चे तेल खरीद के विकल्प बढ़ाने का काम किया है तथा कई देशों से तेल खरीद रहा है। इस लिहाज से, भारत से अपेक्षा नहीं की जाती कि वह रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार करने का तरीका बदलने की संभावना है।

अमेरिकी छूट अवधि के दौरान, भारत ने रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाया था तथा मार्च 2026 में यह

- अमेरिका ने रूस से तेल आयात पर जो एक महीने की छूट दी थी उसे समाप्त कर दिया है, ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारत रूस से तेल खरीद जारी रखेगा या अमेरिकन दबाव में आकर तेल निर्यात बंद कर देगा? भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि रूस से तेल आयात जारी रहेगा, पर अलग तरीके से।
- असल में रूस से भारत को कम कीमत में तेल मिल रहा है, भारत कदापि रूस से तेल खरीद बंद नहीं करना चाहता। पर, कुछ क्षेत्रों में शिपिंग जोखिम, सप्लाई चैन में बाधा से मामला कुछ संवेदनशील है। मध्यस्थों के जरिए तेल खरीद एक जटिल प्रक्रिया है तथा इसमें निगरानी रहने की भी संभावना है।

लगभग दो मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुँच गया। इससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन

गया। ऐसी संभावना है कि आगामी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वाइट हाउस के संवाददाताओं से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर चल रही कूटनीति से जुड़ा कोई समझौता अंतिम रूप ले लेता है, तो वह पाकिस्तान जा सकता है। मैं पाकिस्तान जाऊँगा, हाँ... इस्लामाबाद, मैं "मैं

- अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा, अगर ईरान के साथ डील इस्लामाबाद में साइन होती है तो वे भी वहाँ जा सकते हैं।

शायद जाऊँगा, उन्होंने कहा। अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है, तो मैं जा सकता हूँ... वे मुझे चाहते हैं।" उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों का उल्लेख सकारात्मक शब्दों में किया। "पाकिस्तान शानदार रहा है, वे बहुत अच्छे रहे हैं।" उन्होंने कहा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'डोन्ट डू ईट', परिसीमन पर थरूर ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि जल्दबाजी में किया गया परिसीमन राजनैतिक नोटबंदी साबित होगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। इसे मत करो, यह संदेश शुक्रवार को शशि थरूर ने केन्द्र सरकार को दिया, जब परिसीमन पर बहस चल रही थी, एक ऐसा कदम जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को नष्ट सिरे से तय करेगा। कांग्रेस सांसद ने 2016 की नोटबंदी को चेतावनी की कहानी के रूप में उद्धृत किया और भाजपा नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार से कहा कि सीमांकन प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

थरूर ने कहा, "सहकारी संघवाद का क्या होगा? आपने परिसीमन का प्रस्ताव उतनी ही जल्दी में रखा है, जितनी जल्दी आपने नोटबंदी की थी... दुर्भाग्य से, हम जानते हैं कि इससे क्या नुकसान हुआ। परिसीमन राजनीतिक नोटबंदी साबित होगा। इसे मत करो।"

- थरूर ने कहा, आपने परिसीमन का प्रस्ताव वैसी ही जल्दबाजी में रखा है, जितनी जल्दबाजी में नोटबंदी की थी और उससे कितना भारी नुकसान हुआ था, हम सब जानते हैं।
- थरूर ने कहा, महिला आरक्षण पर हम सभी सहमत हैं। सरकार कहती है, यह न्याय का उपहार है, पर इसे कांटेदार तारों में लपेट दिया गया है। सरकार ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा है, जो 2011 जनगणना पर आधारित है।
- ऐसा हुआ तो राज्यों के बीच भारी असंतुलन पैदा होगा।

महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक गुरुवार को लोकसभा में चोट विभाजन के बाद पेश किया गया। दो अन्य साधारण विधेयक, परिसीमन विधेयक और केन्द्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित संशोधित महिला आरक्षण

कानून को लागू करने के लिए केन्द्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, भी सदन में पेश किए गए। उन्होंने कहा, "आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं, जहाँ महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में लगभग सर्वसम्मत राजनीतिक सहमति है। हर प्रमुख पार्टी

यह समझती है कि प्रतीकात्मकता का समय समाप्त हो गया है और सामूहिक साझेदारी का युग शुरू होना चाहिए, फिर भी मैं खुद हमारे सामने चल रही विधायी प्रक्रिया को लेकर गहराई से चिंतित हूँ। सांसद ने कहा, "प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकार "नारी शक्ति" लायी है, यह न्याय का उपहार है, लेकिन इसे कांटेदार तारों में लपेट दिया गया है, और महिला आरक्षण के लागू होने को संसद विस्तार से जोड़ा गया है, जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों और परिसीमन प्रक्रिया पर आधारित है।"

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण तैयार है और मौजूदा संसदीय ताकत के आधार पर तुरंत लागू किया जा सकता है, और किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया, "श्रीमान अध्यक्ष, हमें एक नैतिक अनिवार्यता को जनसांख्यिकीय जाल में क्यों उलझाना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खंडपीठ ने वेटनरी ऑफिसर भर्ती की परीक्षा तिथि बदलने से इंकार किया

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली वेटनरी ऑफिसर भर्ती-2025 परीक्षा की तिथि में बदलाव से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही,

- अदालत ने याचिकाकर्ता को एकलपीठ के समक्ष लंबित याचिका में आपत्तियाँ उठाने को कहा।

अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह पात्रता संबंधी अपनी आपत्तियाँ एकलपीठ के समक्ष लंबित याचिका में उठाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने ये आदेश नरेन्द्र कुमार व अन्य की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'15 अप्रैल को हमने आदेश दिया, यहाँ नया आवेदन करने की बजाय आपने असम कोर्ट में आवेदन क्यों नहीं किया'

पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ यह मामला असम में दर्ज किया गया था, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयाँ सरमा, पर विदेशी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। खेड़ा ने बुधवार के कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ आवेदन दाखिल किया था, जिसमें 10 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस फैसले

- यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत दस्तावेज (गलत आधार कार्ड) पेश करने के लिए भी फटकारा। खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जल्दबाजी में दस्तावेज संलग्न किए गए थे इसलिए गलती हो गई, इस छोटी सी त्रुटि के कारण जमानत नहीं रोक दी जा सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप फर्जी दस्तावेज पेश नहीं कर सकते। सिंघवी ने कहा, यह जल्दबाजी में हुई गलती थी, जिसे ठीक कर लिया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सारा मामला असम का है तो खेड़ा असम की अदालत क्यों नहीं गए, उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख क्यों किया।
- खेड़ा की ओर से उनके वकील ने अग्रिम जमानत मंगलवार तक बढ़ाने का आग्रह किया, जिसका असम सरकार के वकील सांसद तुषार मेहता ने विरोध किया और कहा, असम की अदालत शुक्रवार को भी खुली है, खेड़ा को कोई भी रोक नहीं रहा है, वहाँ जाने से

को रोक दिया गया था, जिसमें उन्हें एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका सोमवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। खेड़ा ने अनुरोध किया कि अग्रिम जमानत को मंगलवार तक बढ़ाया जाए। न्यायाधीश जे.के. महेश्वरी और ए.एस. चंद्रकर की बैंच ने कहा, "हमारा आदेश 15 अप्रैल बुधवार को पारित हुआ था। यहाँ नया आवेदन करने के बजाय, वहाँ याचिका क्यों नहीं पेश की गई?" खेड़ा की ओर से पेश बरिष्ठ वकील

अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के उस कथन का हवाला दिया कि उनके मुंबिकल ने उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन के साथ "जाली और फैंब्रिकेटेड" आधार कार्ड प्रस्तुत किया था। सिंघवी ने कहा कि, दस्तावेज जल्दबाजी में दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान इसे सही दस्तावेज से बदल दिया गया। सिंघवी ने कहा कि अदालत को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी गई। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की किसी टिप्पणी से जमानत याचिका की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के उस कथन का हवाला दिया कि उनके मुंबिकल ने उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन के साथ "जाली और फैंब्रिकेटेड" आधार कार्ड प्रस्तुत किया था। सिंघवी ने कहा कि, दस्तावेज जल्दबाजी में दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान इसे सही दस्तावेज से बदल दिया गया। सिंघवी ने कहा कि अदालत को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी गई। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की किसी टिप्पणी से जमानत याचिका की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नियुक्ति दे। अदालत ने चेतावनी है कि नियुक्ति देने में एक दिन की भी देरी की गई तो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यदि मामले में विलंब हुआ तो अदालत स्वयंसेवकों से जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ करेगी। जस्टिस रवि चिचानिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'एक माह में पुत्रवधु को अनुकंपा नियुक्ति दें'

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि पुत्रवधु भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। इसके साथ ही अदालत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा है कि वह एक माह में याचिकाकर्ता को अपने ससुर के स्थान पर अनुकंपा

नियुक्ति दे। अदालत ने चेतावनी है कि नियुक्ति देने में एक दिन की भी देरी की गई तो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यदि मामले में विलंब हुआ तो अदालत स्वयंसेवकों से जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ करेगी। जस्टिस रवि चिचानिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)